न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 5/2018 (राजसमन्द आर्डर)

किशोरीलाल पिता चम्पालाल जी गाडरी, निवासी बोरज का खेड़ा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध
निर्णय जिला कलेक्टर, राजसमन्द
दिनांक 16.08.2018 प्र॰सं॰ 1/2015

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री जगदीश पुरोहित अभिभाशक अपीलान्ट

2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय दिनांक

22–07–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विपक्षी किशोर ने ग्राम बोरज का खेड़ा की आराजी नंबर 445 में 4 बिस्वा भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर रखा है, जिस पर तहसीलदार ने विपक्षी को नोटिस जारी कर उसे सुनवाई का अवसर दिया तथा अपने निर्णय दिनांक 24–09–2013 से विपक्षी को अतिक्रमी मानते हुए उसे कब्जे से बेदखल कर शास्ति के आदेश दिये।

तहसीलदार राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 24–09–2013 से रूष्ट होकर विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा प्रथम अपील जिला कलक्टर राजसमन्द के समक्ष प्रस्तुत की, जिस पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने प्रकरण संख्या 1/2015 निर्णय दिनांक 16–08–2018 से अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज करते हुए तहसीलदार राजसमन्द के निर्णय दिनांक 24–09–2013 को यथावत रखा।

अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द के उक्त निर्णय दिनांक 16–08–2018 से रूष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में यह द्वितीय अपील दिनांक 05–10–2018 का प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट का नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट का विवादित भूमि पर 40 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होकर भूमि को आबादान किया है तथा चारो ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रखी है तथा उसी में मकान बनाकर निवास करता हैं। अपीलान्ट का 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने से अपीलान्ट नियमन का पात्र है। अतः अपील स्वीकर कर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें तथा विवादित भूमि अपीलान्ट क नाम नियमन किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

वहीं विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तो यह पाया कि विवादित भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट के पिता को आवंटित

किये जाने एवं उसके पिता के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज होने के रेकार्ड अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध हैं तथा खसरा गिरदावरियों से अपीलान्ट का कब्जा भी साबित होता है, जिस पर दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। तद्नुसार दोनों अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर की अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द का निर्णय दिनांक 16–08–2018 तथा तहसीलदार राजसमन्द का निर्णय दिनांक 24–09–2013 अपास्त किये जाते हैं तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा पश शुदा दस्तावेजी साक्ष्यों का विधिवत अवलोकन करं तथा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान तहसीलदार राजसमन्द के न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 23–09–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां लौटायी जावें। निर्णय आज दिनांक 22–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर